कार्यालय प्रयोगार्थ

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की

अनुसूचित क्षेत्रों

बारे

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2020—21

जनजातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय		पृष्ठ
1.	परिचय		1—3
2.	प्रशासनिक ढांचा तथा कार्मिक नीति		4—10
3.	संरक्षणात्मक एवं शोषणरोधी उपाय		11—12
4.	अनुसूचित क्षेत्रों की विकासात्मक प्रगति		13—21
5.	जन—जातीय क्षेत्रों में प्रभावी एवं नियोजित विकास		22—25
6.	कानून एवं व्यवस्था स्थिति		26
7.	विश्वविद्यालयों एवं अन्य उपक्रमों के कार्यकलाप		26—32
	(क)	चौ0 सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	27—28
	(ख)	डॉ0 यशवन्त सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	28
	(ग)	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	28—29
	(घ)	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	29—30
	(ङ)	हिमाचल पथ परिवहन निगम	30
	(च)	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम	30—32
8.	विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त राशि की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां (अनुलग्नक—क)		33

अध्याय–1

परिचय

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान की अनुसूची–5 के अनुच्छेद–6 के अन्तर्गत प्रदेश के किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति जिलों को सम्पूर्ण रूप से तथा जिला चम्बा के पांगी और भरमौर उप–मण्डलों को हिमाचल प्रदेश (आदेश 1975 संवैधानिक आदेश संख्या 102) दिनांक 21 नवम्बर, 1975 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों को जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इन क्षेत्रों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 71.16% अनुसूचित जन–जाति, 13.12% अनुसूचित जाति तथा 15.72% अन्य लोग निवास करते हैं । इन क्षेत्रों में किन्नौरा, बौद्ध, पंगवाला, गद्दी तथा स्वांगला प्रमुख अनुसूचित जन–जाति के लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 23,655 वर्ग किलोमीटर है जो कि प्रदेश के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल का 42.49 प्रतिशत भाग है। इन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 1,73,661 है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व समस्त प्रदेश में 123 की तुलना में इन क्षेत्रों में केवल 7 है। 2001–2011 दशक के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर सम्पूर्ण प्रदेश में 12.94 प्रतिशत के मुकाबले 4.36 प्रतिशत रही । प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र को विकास के लिए 5 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों, नामतः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभक्त किया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का ब्योरा निम्न प्रकार से है:–

जिला / परियोजना क्षेत्र	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	जनसंख्या				प्रति वर्ग कि.मी. घनता	जातिवार जनसंख्या की सकल जनसंख्या से प्रतिशतता		
		अनुसूचित जन–जाति	अनुसूचित जाति	अन्य	योग		अनुसूचित जन–जाति	अनुसूचित जाति	अन्य
1. किन्नौर									
1. किन्नौर	6401 (27.06)	48746	14750	20625	84121 (48.44)	13	57.95	17.53	24.52
2. लाहौल–स्पिति									
2. लाहौल	6250 (26.42)	15163	1699	2245	19107 (11.01)	3	79.36	8.89	11.75
3. स्पिति	7591 (32.09)	10544	536	1377	12457 (7.17)	2	84.64	4.30	11.05
3. चम्बा									
4. पांगी	1595 (6.74)	17016	1246	606	18868 (10.86)	12	90.18	6.61	3.21
5. भरमौर	1818 (7.69)	32116	4560	2432	39108 (22.52)	22	82.12	11.66	6.22
योग..	**23655 (100.00)**	**123585**	**22791**	**27285**	**173661 (100.00)**	**7**	**71.16**	**13.12**	**15.72**
हिमाचल प्रदेश	**55673**	**392126**	**1729252**	**4743224**	**6864602**	**123**	**5.71**	**25.19**	**69.10**

नोट.–– कोष्ठों में प्रतिशतता दी गई है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इन क्षेत्रों की अनुसूचित जन–जाति एवं अनुसूचित जाति पुरुष तथा स्त्री जनसंख्या निम्न प्रकार से है

जिला / परियोजना क्षेत्र	अनुसूचित जन–जाति जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या			अनुसूचित जन–जाति एवं अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या			लिंग अनुपात (SC & ST) (000 पु0 के प्रति स्त्रियां)
	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	
1. किन्नौर										
1. किन्नौर	48746	23609	25137	14750	7433	7317	**63496**	31042	32454	1045
2. लाहौल–स्पिति										
(i) लाहौल	15163	7501	7662	1699	853	846	**16862**	8354	8508	1018
(ii) स्पिति	10544	5247	5297	536	301	235	**11080**	5548	5532	997
3. चम्बा										
(i) पांगी	17016	8539	8477	1246	614	632	**18262**	9153	9109	995
(ii) भरमौर	32116	16352	15764	4560	2346	2214	**36676**	18698	17978	961
योग..	**123585**	**61248**	**62337**	**22791**	**11547**	**11244**	**146376**	**72795**	**73581**	1011
हिमाचल प्रदेश	**392126**	**196118**	**196008**	**1729252**	**876300**	**852952**	**2121378**	**1072418**	**1048960**	**978**

Note.—The figures of H.P. includes the total population of STs residing in Scheduled Areas as well as in non-scheduled areas.

जनजातीय क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 173661 है जिसमें पुरुष 92525 तथा महिलाएं 81136 हैं जिनका अनुपात 53.28:46.72 है। सकल जनसंख्या बदस्तूर ग्रामीण वर्गीकृत है परन्तु वर्ष 1989–90 में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के मुख्यालय, नामतः रिकांगपिओ, केलांग, काजा, किलाड़ तथा भरमौर को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 की धारा 66 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। इसके इलावा वर्ष 2000–01 में ताबो (स्पिति) तथा उदयपुर (लाहौल) को भी इस अधिनियम के तहत लाया गया है। जिसके फलस्वरूप ये क्षेत्र ग्रामीण तथा शहरी दोनों सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों में व्यवसायिक आकृति निम्न प्रकार से है:–

परियोजना क्षेत्र	मुख्य कर्मी	सीमान्त कर्मी	अकर्मी	सकल जनसंख्या
1. किन्नौर	46782(55.61)	9491(11.28)	27848(33.10)	84121
2. लाहौल	10671(55.85)	1512(7.91)	6924(36.24)	19107
3. स्पिति	4519(36.27)	2593(20.82)	5345(42.91)	12457
4. पांगी	3140(16.64)	7713(40.88)	8015(42.48)	18868
5. भरमौर	7275(18.60)	18943(48.44)	12890(32.96)	39108
योग..	**72387(41.68)**	**40252(23.18)**	**61022(35.14)**	**173661**
हिमाचल प्रदेश	**2062501(30.05)**	**1496921 (20.80)**	**3305180 (48.15)**	**6864602**

नोट.––कोष्ठों में सकल जनसंख्या से प्रतिशतता दी गई है।

परियोजना क्षेत्र का नाम	मुख्यकर्मी		खेतीहर		खेतीहर मज़दूर	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1. किन्नौर	29911	16871	12912	12978	1157	602
2. लाहौल	5815	4856	3431	4162	109	42
3. स्पिति	2917	1602	587	697	58	54
4. पांगी	2374	766	561	288	41	14
5. भरमौर	5880	1395	1475	567	171	86
योग..	**46897**	**25490**	**18966**	**18692**	**1536**	**798**
हिमाचल प्रदेश..	**1438989**	**623512**	**514927**	**404859**	**46235**	**22433**

साक्षरताः

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नों से अनुसूचित क्षेत्रों में साक्षरता दर में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1971 की 21.99 प्रतिशत साक्षरता के मुकाबले 2011 में यह दर 77.10 प्रतिशत आंकी गई । पिछले पांच दशकों में साक्षरता की प्रतिशतता क्षेत्रवार इस प्रकार रही है :–

जनगणना वर्ष	हि0प्र0	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर	सकल अनुसूचित क्षेत्र
1971	31.96	27.70	30.49	23.90	12.84	10.53	21.99
1981	42.48	36.84	34.29	25.10	19.58	22.50	30.73
1991	63.86	58.36	57.07	59.96	38.39	44.81	53.39
2001	76.50	75.20	72.64	74.14	60.32	62.22	70.38
2011	82.80	80.00	74.97	79.76	71.02	73.85	77.10

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगवार साक्षरता ब्यौरा इस प्रकार हैः–

परियोजना क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
1. किन्नौर	87.27	70.96	80.00
2. लाहौल	84.59	64.50	74.97
3. स्पिति	87.37	70.74	79.76
4. पांगी	82.52	59.27	71.02
5. भरमौर	82.55	64.67	73.85
योग..	**85.50**	**67.41**	**77.10**
हिमाचल प्रदेश..	**89.53**	**75.93**	**82.80**

अनुसूचित जन–जाति वर्ग :

राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत प्राख्यापित अनुसूचित जन–जाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 तथा राष्ट्रपति के आदेश अधिसूचना Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 (No. 10 of 2003) के अधीन राज्य में निम्न जातियां अनुसूचित जन–जाति घोषित की गई हैं :–

1. भोट, बौद्ध, 2. गद्दी, 3. गुज्जर, 4. जाड, लाम्बा, खाम्पा, 5. किनौरा, किन्नौरा, 6. लाहुला 7 पंगवाला, 8. स्वांगला, 9. बेटा, बेडा, तथा 10. डेम्बा, गारा, जोबा।

अध्याय–2

प्रशासनिक ढांचा तथा कार्मिक नीति

प्रशासनिक ढांचा :

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र को 5 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्रमशः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभाजित किया गया है। जिला किन्नौर एवं एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर में कल्पा, पूह व निचार विकास खण्ड पड़ते हैं तथा शेष परियोजना क्षेत्र उसी नाम के विकास खण्ड के समरूप हैं।

वर्ष 1986 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा एक समान था परन्तु अप्रैल 1986 में परियोजना क्षेत्र पांगी में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली का सूत्रपात करते हुए वहां आवासीय आयुक्त की नियुक्ति की गई तथा वहां स्थित सभी कार्यालयों का विलय आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय में किया गया और उन्हें प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गईं ताकि वे परियोजना क्षेत्र में उच्चतम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार राज्य तथा परियोजना स्तर के बीच इकहरी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित हुई। यह प्रयोग अत्यन्त सफल रहा और अन्य परियोजना क्षेत्रों से ऐसी पद्धति लागू करने की मांगोपरान्त 15 अप्रैल, 1988 से अन्य क्षेत्रों में भी लागू की गई। जिला किन्नौर में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली 19–7–1996 से समाप्त कर दी गई थी जिसे वर्ष 1998 में पुनः बहाल कर दिया गया है। नए प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में विशिष्ट प्राधिकारी इस प्रकार हैंः–

	परियोजना क्षेत्र	**विशिष्ट प्राधिकारी**
1.	पांगी	आवासीय आयुक्त पांगी स्थित किलाड़
2.	किन्नौर	उपायुक्त किन्नौर स्थित रिकांगपिओ
3.	लाहौल	उपायुक्त, लाहौल–स्पिति स्थित केलांग
4.	स्पिति	अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा
5.	भरमौर	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर

संक्षेप में उपरोक्त विशिष्ट प्राधिकारियों के कृत्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैः–

1. राजस्व मामलों में उन्हें आयुक्त की शक्तियां प्राप्त हैं ।
2. परियोजना क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों का उनके कार्यालय में विलय किया गया है और वे उन्हीं के कार्यालय के अभिन्न अंग समझे जाते हैं, भले ही उनका अलग कैडर हो।
3. परियोजना क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारियों से कोई पत्राचार नहीं होगा तथा सभी कार्यालय अपनी नस्तियां उन्हें उनके आदेशार्थ प्रस्तुत करेंगे।
4. क्योंकि उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारियों को विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं, अतः उन द्वारा सूत्रपातित/पुनार्वलोकित राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से न भेजकर सीधे सम्बन्धित विभागीय प्रशासनिक सचिव को, भेजी जाएंगी और इन्हें विभागाध्यक्ष के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के सम्बन्ध में वे अन्तिम प्रतिग्रहण अधिकारी होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग के लिए वे अनुशासनिक प्राधिकारी घोषित किए गए हैं तथा राजपत्रित कर्मचारियों को वे लघु दण्ड देने के लिए सक्षम होंगे।
5. सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र में सभी विभागों के विभागीय कार्य/कार्यक्रम/स्कीमों के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभागाध्यक्षों को प्राप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का वे प्रयोग करेंगे। विभागाध्यक्षों की क्षमता से ऐसे मामलों में जहां कोई बाहर के मामले हो, सीधे आयुक्त (जनजातीय विकास) को भेजे जाएंगे।

परियोजना सलाहकार समितिः

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए अलग परियोजना सलाहकार समिति गठित है। इस समिति में स्थानीय विधायक, जनजातीय सलाहाकार परिषद के स्थानीय सदस्य, उपायुक्त/आवासीय आयुक्त/अतिरिक्त

उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जैसा भी प्रयुक्त हो, परियोजना स्तरीय विभागीय अधिकारी शामिल हैं तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना इसके सदस्य सचिव हैं। इस के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक परियोजना क्षेत्र से क्रमशः 2 सदस्य, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निर्वाचित जिला परिषद् सदस्यों में से, 2 सदस्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में से तथा 2 पंचायत प्रधान शामिल किये गये हैं। इन क्षेत्रों के सांसद भी इस बैठक में विशेष सदस्य के रूप में आमन्त्रित किये जाते हैं।

यह समिति जनजातीय विकास कार्यक्रम का प्रारूपीकरण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करती है तथा नाभिक बजट के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का आबंटन एवं अनुमोदन भी प्रदान करती है।

जनजातीय सलाहकार परिषद :

संविधान के अनुच्छेद 244 (I) तथा अनुसूची–5 के भाग–बी के पैरा–4 के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण एवं उत्थान सम्बन्धी मामलों में सलाह देने हेतु 13–12–1977 से हि0 प्र0 जनजातीय सलाहकार परिषद गठित है। इस परिषद् की प्रथम बैठक 24–6–1978 को हुई थी। पहली बैठक से अब तक इसकी 47 बैठकें हो चुकी हैं अन्तिम बैठक दिनांक 10–01–2020 को सम्पन्न हुई। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री हैं। अध्यक्ष सहित परिषद के कुल चौबीस (24) सदस्य हैं। यह परिषद् केवल परामर्शदात्री ही नहीं बल्कि इसकी सिफारिशें आमतौर पर सरकार द्वारा मान ली जाती हैं या स्वयं परिषद द्वारा ही विचार विमर्श उपरान्त छोड़ दी जाती हैं। मामलों पर परामर्श देने के अतिरिक्त यह जनजातीय उप–योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 :

भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया था तथा द्वितीय चरण में मार्च, 2012 से यह अधिनियम गैर जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। मार्च, 2021 तक 35 मामलों में 1918.9369 है0 पर सामुदायिक तथा 129 मामलों में 2.4129 है0 पर व्यक्तिगत वन अधिकारों के पट्टे वितरित किए गए तथा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए परिवर्तन के 1717 मामले मार्च, 2021 तक स्वीकृत किए गए।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों में रह रहे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों जो कि पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं परन्तु उनके अधिकारों को अंकित नहीं किया जा सका तथा वन भूमि पर व्यवसाय, को पहचानना और चिन्हित करना है तथा इसके लिए रूपरेखा का प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन करना है। कोई भी जनजातीय व्यक्ति या समुदाय ग्राम सभा के सम्मुख निम्न शर्तों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकता हैः

- वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो
- स्थाई जीविका हेतु वन पर निर्भर हो
- 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि का अभिग्रहण (कब्जा) तथा 2 जनवरी, 2007 तक निरन्तर स्वामित्व हो।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996ः

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 लघु वन उत्पाद का स्वामित्व सम्बन्धित ग्राम सभा को सौंपने की व्यवस्था करता है तथा यह अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है।

राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश करने तथा इसका संशोधन करने हेतु अनुसूचित क्षेत्रों विशेषतः किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति जिलों में पीढ़ी दर पीढ़ी से निवास कर रहे मूल अनुसूचित जाति समुदाय की मांग थी कि राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, अधिनियम, 1996 में पंचायती राज संस्थाओं के पदों को भरने में इन क्षेत्रों के मूल अनुसूचित जाति समुदाय को भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप भाग लेने का हक मिल सके। इस प्रकार की मांग को पूरा करने हेतु Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 पारित किया गया, जो दिनांक 7–01–2003 से लागू है। इस विभाग के पत्र दिनांक 13–01–2003 द्वारा सभी विभागों/बोर्डों/निगमों को Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में उचित प्रविष्टियां करने के आदेश जारी किये गये हैं।

वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीयकरणः

प्रधान सचिव (जनजातीय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या टीबीडी (ए) 4–5/91–II दिनांक 2 जून, 2010 तथा दिनांक 25 जून, 2010 द्वारा पूर्व में प्रदत्त विशेष वित्तीय शक्तियों की समीक्षा व पुनःनिर्धारण किया गया है जो कि निम्न प्रकार से उद्धृत हैं :–

(i) The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangi at Killar, Additional Deputy Commissioner, Kaza and Additional District Magistrate, Bharmaur will exercise the powers of Head of Department with respect to all State Government Departments located in their respective areas in all administrative and financial matters, including grant of administrative approval and expenditure sanction.

(ii) All the District Officers posted in the jurisdiction/office of the Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangi, Additional Deputy Commissioner, Kaza and Additional District Magistrate, Bharmaur will exercise technical powers to the extent of one step higher in their respective ladder.

(iii) With respect to HPPWD and IPH, respective Executive Engineers will now exercise powers of technical sanction one step higher as delegated *vide* Notification No. Fin(C)-A(3)25/75, dated 30-07-1996. While exercising technical sanction powers by the Executive Engineers, copies of technical sanction orders will be endorsed to concerned Superintending Engineers for their scrutiny.

(iv) Superintending Engineers of HPPWD and IPH will exercise one step up power with respect to Technical matters only *i.e.* that of Chief Engineer, as delegated in "Item No. 2 Technical Sanction" of the notification of Finance Department mentioned in clause (iii) above with respect to Projects in Tribal Areas. They will also scrutinize technical sanctions accorded by respective Executive Engineers, particularly with respect to the sanction under enhanced powers delegated to Executive Engineers as per clause (iii) above.

(v) Superintending Engineer and Conservator of Forests shall carry out supervision and inspections of offices/works as per the norms applicable for non-tribal areas. Since the Divisional Officers are under the administrative control of the Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will facilitate such supervision/inspections by effective co-ordination.

(vi) The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangi at Killar, Additional Deputy Commissioner, Spiti at Kaza and Additional District Magistrate, Bharmour will initiate ACRs of all Gazetted Officers working in their respective areas and send the same to Heads of Departments concerned for review, who will further process the same in accordance with the Government orders for getting the same finally accepted. While doing so, the Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will obtain the

comments, particularly with respect to technical matters, on the performance of concerned Executive Engineers of PWD and IPH and DFOs from the concerned S.Es./Conservators of Forests on the self-appraisal report and the comments of the concerned S.E./C.F. will form part of the ACR. ACRs of Non- Gazetted employees will finally be accepted by the Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangi at Killar, Additional Deputy Commissioner, Spiti at Kaza and Additional District Magistrate, Bharmour.

(vii) There will be no correspondence between Heads of Offices and Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate and all the Heads of Offices shall put up their files direct to the Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner, and Additional District Magistrate.

(viii) The Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will co-ordinate with respective Heads of Departments at the State level to take advantage of their experience and resources and ensure their active participation in effective administration. Head of Departments will also carry out inspection/undertake visits to their respective areas at par with other Departments of the State.

(ix) The Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will exercise the powers of Commissioner with respect to administrative matters of Revenue Department. However, with respect to court and appellate matters, the powers of Commissioner will rest with the Divisional Commissioner.

कार्मिक नीति

स्थानान्तरण नीति :

स्थानान्तरण नीति के अधीन सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र को दूरस्थ क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकारी/कर्मचारी की सेवा अवधि तीन वर्ष (दो शीतकाल तथा तीन ग्रीष्मकाल) निर्धारित की हुई हैं। कार्यकाल समाप्ति उपरान्त अधिकारी/कर्मचारी को अपनी पसन्द के पांच स्थानों में से किसी एक में समायोजित करने का प्रयत्न किया जाता है। इन क्षेत्रों में सेवा के लिए पृथक सब–काडर बनाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति इन क्षेत्रों में चार वर्ष के लिए अपेक्षित है; साथ ही उन कर्मचारियों, अधिकारियों की तैनाती की जानी अपेक्षित होती है जिन्होंने पहले इन क्षेत्रों में सेवा नहीं की है।

इन क्षेत्रों में कार्यकाल के उपरान्त स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को नए स्थान पर बिना बारी आवास आबंटन की सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या : जीएडी–डी–7 (जी)1–12181–तीन, दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार जो अधिकारी/कर्मचारी जनजातीय क्षेत्र को स्थानान्तरित हों और यदि पिछले स्थान पर उनके पास सरकारी आवास प्राप्त हो तो वह अपने पिछले स्थान पर साधारण किराया पर लिखित प्रार्थना के उपरान्त ऐसा आवास रख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत गृह निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि आरक्षित की गई है।

(1) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अधोलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी प्राप्त हैं:–

लाहौल–स्पिति, किन्नौर, भरमौर तथा पांगी में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का निश्चित अवधि के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है जैसे कि लाहौल में छः मास का दो बार स्पिति में नौ मास का तथा तीन मास का, किन्नौर में चार मास का अक्तूबर मास में, पांगी में छः

मास का दो बार तथा भरमौर में चार मास का नवम्बर मास में। ऐसा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड–1, 1971 के नियम 10.26 के अधीन किया जाता है।

(2) बढ़ी हुई दरों पर प्रतिपूरक भत्ता जो कि वर्तमान में 11–6–1999 से प्रचालित है

ग्रुप सहित क्षेत्र :

ग्रुप–1	चम्बा जिला की पांगी तहसील :	670/–रु0 प्रति मास नियत
ग्रुप–2	(क) सम्पूर्ण जिला लाहौल–स्पिति :	620/– रु0 प्रति मास नियत
	(ख) चम्बा जिला की भरमौर तहसील की निम्न पंचायतें :–	
	1. कुगती, 2. देयोल, 3. बजौल, 4. नयागांव, 5. तुन्दाह तथा 6. बड़गांव	यथोपरि
	(ग) तहसील भरमौर की ग्राम पंचायत जगत का ग्राम घाटू	यथोपरि
	(घ) तहसील भरमौर की ग्राम पंचायत कवारसी	यथोपरि
	(ङ) जिला किन्नौर की निम्न पंचायतेंः–	
	1. कुन्नू–चारंग, 2. हांगों, 3. आसरंग, 4. छितकुल, 5. किन्नौर का 15/20 क्षेत्र, यानि की ग्राम पंचायतें रूपी, छोटा खम्बा तथा नाथपा :	यथोपरि
ग्रुप–3	किन्नौर जिला के उप–मण्डल पूह का शेष क्षेत्र	520/– रु0 प्रतिमाह नियत
ग्रुप–4	(क) किन्नौर जिला का शेष क्षेत्र	420/–रु0 प्रति मास नियत
	(ख) तहसील भरमौर (जिला चम्बा) का शेष क्षेत्र	यथोपरि

अनुसूचित क्षेत्र को महंगा व दूरस्थ वर्गीकृत किया गया है तथा यात्रा भत्ता के अन्तर्गत ठहराव के लिए वहां बढ़ी हुई दरों पर दैनिक भत्ता दिया जाता है।

महेश्वर प्रसाद कमेटी रिपोर्ट का पालन :

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में परियोजना कार्यालय स्थापित है। सभी स्तरों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का उदारतया विकेन्द्रीकरण किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को बढ़े हुए दर पर अनुपूरक भत्ता तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/स्थानान्तरण सम्बन्धी निश्चित नीति बना रखी है। समिति के निष्कर्षों पर राज्य सरकार ने गम्भीरतापूर्वक मनन किया है और निम्न कार्यवाही की गई :–

(1) परियोजना स्तर पर योजना क्रियान्वयन अधिकारियों को एक पद ऊपर की वित्तीय/तकनीकी/प्रशासकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ;

(2) छुट्टी पर जाते और लौटते समय विशिष्ट पारगमन स्थानों तक विशेष पारगमन छुटटी का दिया जाना। यह सुविधा वर्ष में केवल एक बार तथा समान रूप से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार से उपलब्ध है :

1. पांगी में वर्ष में 8 दिन
2. भरमौर में 15 दिसम्बर से 31 मार्च तक 4 दिन
3. लाहौल में 15 दिसम्बर से 15 जून तक 3 दिन
4. स्पिति में 15 दिसम्बर से 30 अप्रैल तक 4 दिन अन्यथा केवल 3 दिन
5. किन्नौर में शून्य

(3) गैरस्थानीय तथा गैर स्थानीय केडर के कर्मचारियों को अधिक ठहराव भत्ता निम्न दरों पर दिया जाता है :

चौथे वर्ष	मूल वेतन का 10 प्रतिशत	(न्यूनतम सीमा 50 रु0)
पांचवे वर्ष	मूल वेतन का 17.5 प्रतिशत	यथोपरि
छठे वर्ष	मूल वेतन का 25 प्रतिशत	यथोपरि

सातवें वर्ष तथा उसके बाद मूल वेतन का 35 प्रतिशत अधिकतम 500/– रुपये प्रतिमाह

(4) आयुक्त एवं सचिव (जनजातीय विकास) द्वारा उपायुक्तों / आवासीय आयुक्त /अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इन्द्राज करना। जनजातीय क्षेत्रों में तैनात वन मण्डलाधिकारियों, उप–वन अरण्यपालों तथा अधिशासी अभियन्ताओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लिखा जाना।

(5) जनजातीय क्षेत्रों में तैनात वन मण्डलाधिकारियों/उप–वन अरण्यपालों/अधिशासी अभियन्ताओं को 15 दिन तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां उपायुक्तों / आवासीय आयुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त हैं। ऐसा निर्णय राज्य सरकार द्वारा इकहरी प्रशासनिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने हेतु लिया गया है।

(6) उप–योजना/परियोजना क्षेत्र का मूल्यांकन तथा

(7) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण

हैलिकॉप्टर सेवाः

जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा कर्मचारियों की सुविधा के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने स्टिंगरी, उदयपुर तथा किलाड़ के लिए सप्ताह में एक उड़ान तथा रावा, अजोग, तिन्दी, बारिंग, साच, धरवास, तान्दी (डाइट), चोखंग, गोंदला, टिंगरिट, जिस्पा, सीसू, काजा व सगनम के लिए पाक्षिक उड़ान भरने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शेष जनजातीय क्षेत्रों के दूर–दराज इलाकों में रह रहे स्थानीय लोगों व सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए भी सड़क परिवहन सुविधा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाधा आने पर तथा मांग अनुसार शिमला से कल्पा, सांगला, पूह, लिओ, नाको, ज्ञाबूंग, समदो, ताबो, काजा, लोसर, भरमौर इत्यादि स्थानों के लिए भी शीतकालीन हैलिकॉप्टर उड़ानें उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर 2019 से अप्रैल 2020 तक इन क्षेत्रों के लिए 61 हैलिकॉप्टर उड़ानें (To & From) करवाई गई जिसके द्वारा लगभग 1973 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। 2020–21 में रोहतांग टनल के चालू होने से हैलिकॉप्टर उड़ानें करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इससे स्पष्ट होता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का व्यापक विकेन्द्रीकरण किया गया है और कार्मिक नीति का ध्येय वहां नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ौतरी और इस क्षेत्र में सहर्ष नियुक्ति को बढ़ावा देना है।

योजना परिव्यय आबंटन मानक :

वर्ष 1996—97 से हिमाचल प्रदेश में जनजातीय उप—योजना (अब जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत राज्य योजना विभाग, कुल राज्य योजना आकार का 9 प्रतिशत भाग सीधे जनजातीय विकास विभाग को आबंटित करता है। जनजातीय विकास विभाग अपने स्तर पर विभाज्य परिव्यय को परियोजना क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रमशः 30 प्रतिशत किन्नौर, 18 प्रतिशत लाहौल, 16 प्रतिशत स्पिति, 17 प्रतिशत पांगी तथा 19 प्रतिशत भरमौर परियोजना क्षेत्र को आबंटित करके परियोजना क्षेत्र के लिए वार्षिक विकास बजट प्रारूपीकरण हेतु निर्देशन जारी करता है तथा परियोजना सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य स्तर पर जनजातीय विकास बजट तैयार किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार विकास बजट निर्धारण प्रणाली अपनाने से जहां एक तरफ स्थानीय आवश्यकता मूलक योजना बनती है वहीं दूसरी ओर वर्ष के दौरान अनावश्यक विचलन की आवश्यकता नहीं रहती है।

अध्याय–3

संरक्षात्मक एवं शोषणरोधी उपाय

अनुसूचित जनजाति समुदाय को हर प्रकार के शोषण से बचाना विकास कार्यक्रम प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है क्योंकि अप्राधिकृत विकास संरक्षात्मक उपाय के अभाव में शोषणकर्ताओं को ही बढ़ावा देता है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन भी राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि शोषण के निवारण और इससे जूझने के लिए अधिनियम बनाए जाएं और मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें और कड़ा बनाया जाए।

भूमि हस्तांतरण प्रतिरोधक नियम :

प्रदेश में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियों की अर्थ–व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। अतः भूमि उनका मुख्य साधन है और वे इससे वंचित न हों इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 की धारा–3 (I) को संशोधित करके इसे और सुदृढ़ बनाया गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 14 जनवरी, 2003 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन के अनुसार अब कोई भी अनुसूचित जनजाति व्यक्ति अपनी भूमि किसी गैरअनुसूचित जनजाति व्यक्ति के नाम न ही विक्रय द्वारा, रहन द्वारा, पट्टे पर, हिब्बा द्वारा और किसी भी प्रकार से ज़मीन तब तक हस्तान्तरित नहीं कर सकता है जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए हि0प्र0 सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा प्राप्त न की हो। राज्य सरकार ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायतों से समुचित स्तर पर परामर्श करेगी।

रहनकर्ता के पक्ष में हिमाचल प्रदेश रैस्टीच्यूशन ऑफ मोर्डगेजड लैण्ड एलीनीयेशन और एडोपशन अण्डर कस्टम एक्ट, 1976 के अन्तर्गत संरक्षण दिया गया है जिसके अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरण को चुनौती देने पर रोक लगाई गई है। इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जद्दी जायदाद के हस्तांतरण या ऐसी जायदाद का वारिस नियुक्त करने पर आपत्ति नहीं उठा सकता है जब तक कि वह लक्कड़दादा से सीधे पुरूष वर्ग में वंशज न हो। आगे धारा 5 के तहत गैर–जद्दी जायदाद के बारे हस्तान्तरण अथवा वारिस की नियुक्ति को रिवाज के खिलाफ चुनौती देने का किसी को भी हक नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सीलिंग औन लैण्ड होल्डिंग्ज एक्ट, 1972 के अन्तर्गत भी जनजातीय क्षेत्रों के साथ लिहाज किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 (I)(सी) के अन्तर्गत अनुमतः क्षेत्र की सीमा जनजातीय क्षेत्रों के लिए 70 एकड़ है। फालतू ज़मीन के आबंटन में भी भूमिहीनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है।

सहकारी तथा ऋण राहत :

राज्य में साहुकारी को हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ मनीलैंडर्ज एक्ट, 1976 के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है जिसके अधीन प्रत्येक साहुकार को पंजीकृत होना अनिवार्य है और उस द्वारा साहुकारी करने के लिए लाईसैंस लेना भी आवश्यक है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपना ऋण बसूल करने के लिए किसी प्रकार का मुकद्दमा अथवा आवेदन नहीं कर सकते हैं।

असामान्य सूदखोरी हिमाचल प्रदेश डैट रिडक्शन एक्ट, 1976 के अन्तर्गत नियन्त्रित ऋण में सूद की दर 6 प्रतिशत से अधिक वार्षिक नहीं हो सकती और असुरक्षित ऋण में यह सीमा 12 प्रतिशत वार्षिक है।

हिमाचल प्रदेश रिलीफ एग्रीकल्चरल इनडैटिडनैस एक्ट, 1976 के अधीन भी कुछ श्रेणियों के किसानों/भूमिहीन कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण में राहत दी गई है।

बन्धुआ मजदूरी :

अनुसूचित क्षेत्र में बन्धुआ मजदूरी की प्रथा विद्यमान नहीं है फिर भी हिमाचल प्रदेश रिलीफ एग्रीकल्चरल इनडैटिडनैस एक्ट, 1976 की धारा 4 के अन्तर्गत हर प्रकार की बन्धुआ मजदूरी गैर कानूनी घोषित की गई है। इस सम्बन्ध में कोई रीति–रिवाज अथवा समझौता अब मान्य नहीं होगा।

काश्तकार एवं भू–सुधार अधिनियम :

हिमाचल प्रदेश टेनैन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज़ एक्ट, 1972 के अन्तर्गत सभी प्रकार की पट्टेदार, किन्ही कानूनी मजबूरियों को छोड़कर समाप्त कर दी गई है और ऐसा पट्टेदार अपने आप मालिक करार दे दिया जाता है। बटाईदारी की प्रथा इन क्षेत्रों में विद्यमान नहीं है।

आबकारी नीति :

अनुसूचित क्षेत्र अल्पाईन क्षेत्र में स्थित है जहां शीतकाल दीर्घकालीन होता है और जलवायु असहनीय है। मनोरजंन के साधन सीमित हैं। मनोरम पेय के अतिरिक्त युग–युगान्तर से शराब उनके सामाजिक ढांचे का अभिन्न अंग है। राज्यीय आबकारी नीति के अधीन जनजातीय क्षेत्रों को छूट दी गई है और वर्ष 1992–93 से आवकारी नीति निम्न प्रकार से हैः–

(1) घरेलू प्रयोग के लिए, खास मौकों पर प्रयोग के लिए देसी खमीरी शराब बनाने के लिए एल–20–डी लाईसैंस जारी किए जाते हैं। ये लाईसैंस 5 रुपये वार्षिक फीस पर दिए जाते हैं। ऐसी शराब की एक वक्त में 750 मि.लि. की अधिकतम 24 बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। ये लाईसैंस कलैक्टर अथवा आबकारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं।

(2) फल अथवा अनाज की घरेलू प्रयोग के लिए देसी शराब कशीद करने के लिए एल–20–सीसी लाईसैंस जारी किए जाते हैं। ये लाईसैंस भरमौर के सिवाए अन्य सभी जनजातीय क्षेत्रों को जारी किए जाते हैं जिनकी सालाना फीस 25/– रुपये है परन्तु पांगी क्षेत्र में ये लाईसैंस निशुल्क जारी किए जाते हैं। ऐसी शराब की भी अधिकतम 24 बोतलें ही एक समय में रखी जा सकती हैं। ये लाईसैंस कलैक्टर द्वारा जारी किए जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त अति सीमित मात्रा में आम ठेकों की भी मंजूरी दी गई हैः ऐसा इस लिए किया गया है क्योंकि जनजातियों के अतिरिक्त 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र में अन्य वर्ग से सम्बन्ध रखती है जिन्हें शराब निकालने की मनाही है। देसी व विदेशी पर्यटकों की सुविधार्थ भी ऐसा करना अपेक्षित है। अनुसूचित क्षेत्र के पक्ष में नशाबन्दी में ढील दी गई है परन्तु इस कारण जनजातियों का कोई शोषण नहीं हो रहा है जैसा कि स्थिति अन्यत्र हो सकती है। जनहित में इस संदर्भ में स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है।

अध्याय–4

अनुसूचित क्षेत्रों की विकासात्मक प्रगति

संविधान के प्रावधान में ही सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आश्वासन दिया गया है। जबकि अनुच्छेद–31(I) में राज्य की सभी श्रेणियों के कल्याण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय अपने आप में एक श्रेणी होने के नाते अनुच्छेद–46 ऐसे समुदाय के लिए आर्थिक संरक्षण हेतु विशेष वार्ताओं की सिफारिश करता है। इस संदर्भ में प्रथमतम् प्रयास 1955 में विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्डों के रूप में किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास खण्डों का सूत्रपात किया गया जो उपरोक्त वर्णित प्रणाली का संशोधित रूप था। इस कार्यक्रम को तीसरी पंच–वर्षीय योजना में विस्तृत किया गया। इसके अन्तर्गत ऐसे सामुदायिक विकास खण्ड भी लाए गए जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2/3 या इससे अधिक थी। चौथी पंच–वर्षीय योजनावधि में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति बहुलता वाले क्षेत्र ऐसी पद्धति के अन्तर्गत लाने का ध्येय था परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। इस दिशा में सकल प्रयास का मूल्यांकन समय–समय पर गठित अध्ययन दलों द्वारा किया गया तथा जिनके परिणामों से ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि इन जनजातियों को सामान्य प्रयासों के अन्तर्गत अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा पाए हैं और ये जातियां पूर्ववत् सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी बनी हुई हैं जिसका मुख्य कारण ऐतिहासिक व इन श्रेणियों का अन्य जातियों के समरूप लाभ उठा पाने में असमर्थता है। ऐसी असमानता को दूर करने के लिए आयोजित प्रयास की आवश्यकता थी तथा जनजातीय क्षेत्रों के तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु जनजातीय उप–योजना प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इस नीति के मुख्य पहलू निम्न प्रकार थेः–

(क) राज्यों में ऐसे सामुदायिक विकास खण्डों को चिन्हांकित करना जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बहुलता थी तथा इनको एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में गठित करना ताकि वहां क्षेत्र पर आधारित समन्वित विकास गतिविधियां अपनाई जा सकें;
(ख) जनजातीय उप–योजना के लिए राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं एवं वित्तीय संस्थानों से प्रावधान आरक्षित करना, तथा
(ग) जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तथा उपयुक्त कार्मिक नीति का सूत्रपात करना।

प्रदेश में समूचा किन्नौर जिला, लाहौल–स्पिति जिला तथा चम्बा जिला के पांगी व भरमौर उप–मण्डल अनुसूचित क्षेत्र हैं तथा यहां पर अनुसूचित जनजाति समुदाय की बहुलता है। इन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974–75 से चलाई जा रही हैं।

मुख्य योजनाओं के अन्तर्गत उप–योजनाएं :

जनजातीय उप–योजना इस प्रदेश के लिए कोई नया विषय नहीं था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सात सामुदायिक विकास तथा जन–जातीय खण्ड भी तसब्बर होते रहे तथा प्रदेश में किन्नौर व लाहौल–स्पिति जिले सीमा क्षेत्र माने जाते रहे और इन क्षेत्रों के लिए सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना परिव्यय अलग से सुरक्षित रखे जाते थे। इन क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता भी 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध होती थी। इस प्रकार उप–योजना के बीज पहले ही प्रदेश में अंकुरित हो रहे थे और जनजातीय उप–योजना प्रणाली के अपनाए जाने के फलस्वरूप इस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। उप–योजना के अधीन अधिक क्षेत्र लाए गए और राज्य प्रयास को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त राशि से बढ़ावा मिला।

पांचवी पंचवर्षीय योजना :

मूल पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) (16 करोड़ रुपये) राज्य योजना से 12.81 करोड़ रुपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता 3.19 करोड़ रुपये की अनुमोदित की गई थी परन्तु पांचवी योजना निर्धारित अवधि से

एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी तथा इस प्रकार 10.94 करोड़ रुपये राज्य योजना, 9.05 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता, 1.89 करोड़ रुपये, अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले वास्तविक व्यय 9.12 करोड़ रुपये, राज्य योजना 7.81 करोड़ रुपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता, 1.31 करोड़ रुपये रहा तथा व्यय 83 प्रतिशत रहा। यह मात्र छठी पंचवर्षीय योजना की पूर्व संध्या पर 98 प्रतिशत हो गई।

छठी पंचवर्षीय योजना :

छठी पंचवर्षीय योजना में संशोधित क्षेत्रीय विकास पद्धति जिसके अन्तर्गत जनजातीय कोष्ठ चिन्हांकित किए जाने अपेक्षित थे को और अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उप–योजना प्रणाली के अधीन लाई गई। इस प्रदेश में वर्ष 1981–82 में ऐसे 2 कोष्ठ चिन्हांकित किए गए जिससे प्रदेश में उप–योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 63 प्रतिशत हो गई।

जनजातीय क्षेत्रों में 3.13 प्रतिशत आबादी केन्द्रित होने के मुकाबले पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य योजना से प्रवाह 5.56 प्रतिशत लक्षित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि 1974–78 में 5.75 प्रतिशत अंकित की गई। इस पृष्ठभूमि में छठी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य योजना से प्रवाह की मात्रा 8.48 प्रतिशत लक्षित की गई और वास्तविक उपलब्धि 8.62 प्रतिशत रही। वर्ष 1984–85 में यह मात्रा 8.92 प्रतिशत थी यहां यह वर्णनीय है कि सामान्य योजना मदों के मुकाबले उप–योजना में वृद्धि दर अधिक रही जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हैः–

(लाख रुपये)

योजनावधि		राज्य योजना परिव्यय	उप–योजना का प्रवाह	स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता	प्रतिशत बढ़ौतरी	
					राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना
1.	पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78).	15,743.00	904.81	5.75	155.26	–
2.	छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) लक्षित।	56,000.00	4,747.40	8.48	255.71	424.68
3.	यथोपरि वास्तविक	62,833.56	5,415.31	8.62	12.20	14.07

सातवीं पंचवर्षीय योजना :

सातवीं पंच वर्षीय योजना से मुख्य रूप से यह अपेक्षा थी कि पिछले निवेश के लाभों को समेकित किया जाये तथा देश विकास के पथ पर इस प्रकार अग्रसर हो ताकि सामाजिक न्याय, समाज कल्याण और सामाजिक खपत में बढ़ौतरी हो सके।

सातवीं योजनावधि के लिए राज्य योजना से प्रवाह 9 प्रतिशत लक्षित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि 8.78 प्रतिशत रही :–

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप–योजना को प्रवाह	स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता	प्रतिशत बढ़ौतरी	
				राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना
7वीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) लक्षित।	1,05,000.00	9,450.00	9.00	67.11	74.51
वास्तविक	1,15,919.00	10,179.24	8.78	84.49	87.97

आठवीं पंचवर्षीय योजना :

जनजातीय उप–योजना प्रणाली जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अपनाई गई है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास में उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके अन्तर्गत योजनाकारों एवं कार्यन्विकों का ध्यान अनुसूचित जनजाति समाज एवं क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों की ओर आकृष्ट हुआ है जिस कारण इनके समन्वित विकास की पद्धति अपनाई गई। वर्तमान व्यवस्था को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी जारी रखा गया तथा इस दौरान उप–योजना के लिए यथार्थ धनराशि निर्धारित की गई।

पूर्व में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि वर्ष 1990–91 से प्रारम्भ होनी थी परन्तु इसे वर्ष 1992–93 से प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1990–91 में राज्य योजना से जनजातीय उप–योजना का प्रवाह 8.95 प्रतिशत अंकित किया गया तथा वर्ष 1991–92 के लिए यह 9 प्रतिशत किया गया।

वर्ष 1990–91 से 1991–92 में राज्य योजना एवं जनजातीय उप–योजना की तुलनात्मक स्थिति निम्न है :–

(लाख रु0)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय उप–योजना का प्रवाह	स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता	प्रतिशत बढ़ौतरी	
				राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना
वर्षिक योजना 1990–91	36,200.00	3,240.00	8.95	39.23	38.97
वार्षिक योजना 1991–92	40,650.00	3,658.50	9.00	12.29	12.92
आठवीं पंचवर्षीय योजना :					
8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) लक्षित।	2,50,200.00	22,518.00	9.00	138.29	138.29
वास्तविक	3,34,050.00	30,050.00	9.00	188.17	195.22

नवीं पंचवर्षीय योजना :

नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1997 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 1997–98 से 2001–2002 तक पूर्ण हुई। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप–योजना का प्रवाह 8.90 प्रतिशत रहा । नवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं में रोजगार सृजन में बढ़ौतरी पर बल दिया गया। इसमें पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप–योजना को प्रवाह	स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता	प्रतिशत बढ़ौतरी	
				राज्य योजना	जन–जातीय उप–योजना
9वीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) लक्षित	7,15,000.00	53,140.00	7.43	185.77	136.00
वास्तविक	7,70,536.70	68,570.15	8.90	130.67	128.00

दसवीं पंचवर्षीय योजना :

दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2002 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2002–2003 से 2006–2007 तक पूर्ण हुई। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप योजना का प्रवाह 8.96 प्रतिशत रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत रोजगार सृजन में बढ़ौतरी पर बल दिया गया। इसमें पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप–योजना को प्रवाह	स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता	प्रतिशत बढ़ौतरी	
				राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना
10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) लक्षित।	10,75,000.00	85,635.00	7.97	50.35	61.15
वास्तविक	8,03,500.00	72,025.29	8.96	4.28	5.04

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना :

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2007 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत रोजगार सृजन में बढ़ौतरी पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली आदि में सुधार मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप–योजना को प्रवाह	स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता	पिछली पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना के मुकाबले प्रतिशत बढ़ौतरी	
				राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) लक्षित (अनुमानित)।	14,00,000.00	1,26,000.00	9.00	35.92	47.13
वास्तविक	13,50,000.00	1,21,500.00	9.00	68.01	68.69

बारहवीं पंचवर्षीय योजनाः

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2012 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था,

शिक्षा एवं संबद्ध गतिविधियां, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, सीमा क्षेत्र विकास, सिंचाई एवं बाड़ नियन्त्रण, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, महिला एवं शिशु विकास, आवास, उद्योग आदि मदों को प्राथमिकता दी गई।

(लाख रुपये)

योजनावधि	राज्य योजना परिव्यय	उप–योजना को प्रवाह	स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता	पिछली पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना के मुकाबले प्रतिशत बढ़ौतरी	
				राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) लक्षित (अनुमानित)।	22,80,000.00	2,05,200.00	9.00	62.85	62.85
वास्तविक	22,74,892.00	2,02,106.94	8.88	68.51	66.34

क्षेत्रवार वित्त वर्ष 2019–20 का वास्तविक व्यय तथा वित्त वर्ष 2020–21 का अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार से है:–

(लाख रु0)

क्षेत्र	2019–20 वास्तविक व्यय			2020–21 अनुमानित व्यय		
	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम
(क) आर्थिक सेवाएं	23581.31	720.53	104.25	32490.80	844.20	2680.00
(ख) सामाजिक सेवाएं	15096.02	1245.42	1823.50	22131.10	974.90	4519.00
(ग) सामान्य सेवाएं	2335.64	0.35	–	4166.00	41.00	475.00
(घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।	305.50	–	2507.03	278.00	–	2500.00
योग..	**41318.47**	**1966.30**	**4434.78**	**59065.90**	**1860.10**	**10174.00**

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान उच्चतम प्राथमिकता 'आर्थिक सेवाएं' क्षेत्र को दी गई हैं। उप–क्षेत्रों में 'ऊर्जा' को प्राथमिकता दी गई है।

वर्ष 2020–21 के भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्तियों का ब्योरा इस प्रकार से है :–

जनजातीय उप–योजना भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्तियां :

मद्द	इकाई	वर्ष 2020–2021 की वास्तविक उपलब्धियॉ	आई0टी0 डी0पी0 किन्नौर	आई0टी0 डी0पी0 लाहौल	आई0टी0 डी0पी0 स्पिति	आई0टी0 डी0पी0 पांगी	आई0टी0 डी0पी0 भरमौर
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कृषि उत्पादः							
1. खाद्यानः							
उत्पाद	एमटी	8766.75	3640	–	–	30.75	5096
2. आलूः							
उत्पाद	एमटी	24160	8780	14670	–	60.00	650
3. सब्जियांः							
उत्पाद	एमटी	28198	26000	–	–	400.00	1798
4. अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्रफलः							
गेहूं	हैक्ट0	426	400	–	–	–	26
मक्की	हैक्ट0	580	500	–	–	50.00	30
5. उर्वरक का वितरण :							
एन.	एमटी	162.23	74.00	28.23	–	–	60.00
पी.	एमटी	87.50	26.00	46.50	–	–	15.00
के.	एमटी	76.78	25.00	40.78	–	–	11.00
	योग..	**377.00**	**125.00**	**166.00**	–	–	**86.00**
6. कृषि औजारों की संख्या वितरणः	संख्या	3390	1500	390	–	–	1500
7. भू–नमूनों का विश्लेषणः	संख्या	586	–	191	–	70	325
8. ग्रीन हाऊस का निर्माणः	संख्या	80	–	80	–	–	–
9. भू–संरक्षणः			–		–	–	–
कृषि विभाग द्वारा	हैक्टेयर		–		–		–
2. उद्यान उत्पादः			–		–		
फलदार पौधों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र।	हैक्टेयर	51	15	12	1	17	6
फलदार पौधों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	हैक्टेयर	19908	12633	1182	662	1104	4327

1	2	3	4	5	6	7	8
फल उत्पादन	एमटी	80931	73330	175	135	1035	6256
पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र।	हैक्टेयर	0.25	0	—	—	—	0.25
पौध संरक्षण के अधीन कुल क्षेत्र।	हैक्टेयर	10751.04	9042.04	—	—	470	1239
3. पशु पालन					—		
कृत्रिम गर्भाधान गाय	संख्या	13502	6489	1743	773	3232	1265
टिकाकरण	संख्या	69827	30553	8100	7063	10550	13621
अन्य टिकाकरण (एन्ट्रोटोक्सएमिया, पी0पी0आर0एच0 एस0वी0क्यू0)	संख्या	92105	33955	26500	650	31000	0
पशु पालकों के लिए जागरूकता शिविर	संख्या	688	475	62	0	28	123
4. मत्स्य पालनः							
ट्राउट ओवा उत्पादन।	सं0 लाखों में	17.26	1.50	—	—	—	0.10
मछली उत्पादकों को सहायतानुदान।	सं0	5	1	—	—	—	4
टेबल साईज ट्राऊट उत्पादन।	एमटी	1.264	1.098	—	—	—	0.166
5. वनः							
1. वन आवरण वर्धन के अन्तर्गत क्षेत्र (नया पौधारोपण)।	हैक्टेयर	593.7	460.70	123.00	—	—	10
2. वन परिरक्षण, संरक्षण एवं रख–रखाव (2015–16).	हैक्टेयर	1565.56	927.58	71.00	—	89.60	477.38
6. सहकारिताः							
अल्प एवं माध्यमिक अवधि के ऋण।	लाख रु0	51.61	45.29	6.32	—	—	—
उपभोक्ता वस्तु वितरण।	लाख रु0	2429.11	1295.85	301.35	46.72	350.00	435.19
7. (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम							
कार्य दिवस सृजन	सं0 लाख में	19.12	7.43	1.83		5.71	4.15
(ख) प्रधानमन्त्री आवास योजना/ राजीव आवास योजना।	सं0	42	6	—	—	13	23

(ग) मुख्यमंत्री आवास मुरम्मत योजना	सं0	16	16	—	—	—	—
8. लघु सिंचाईः	हैक्टेयर	251.31	231.82	4.49	—	5.0	10
9. बाढ़ नियन्त्रण	हैक्टेयर	11.5	0.00	—	—	1.5	10
10. सड़क एवं पुलः							
मोटर योग्य सड़क	कि.मी.	42.473	—	—	—	—	—
जीप योग्य सड़क	कि.मी.	5.500	—	—	—	—	—
क्रास नालियां	कि.मी.	22.350	—	—	—	—	—
सड़कों का पक्का करना	कि.मी.	11.500	—	—	—	—	—
पुल निर्माण	सं0	5	—	—	—	—	—
गांवों को सड़क से जोड़ा।	सं0	6	—	—	—	—	—
11. शिक्षाः							
1. प्रारम्भिक शिक्षाः							
(क) पहली से पांचवी श्रेणी में प्रवेशः							
छात्र	सं0	3447	1371	335	260	615	866
छात्राएं	सं0	3644	1478	358	254	654	900
(ख) छठी से आठवीं तक प्रवेशः							
छात्र	सं0	2180	779	200	120	379	702
छात्राएं	सं0	2450	951	225	104	416	754
2. उच्च शिक्षा :							
(क) नौवीं से दसवीं तक प्रवेशः							
छात्र	सं0	2008	828	159	87	345	589
छात्राएं	सं0	2221	958	170	91	376	626
(ख) 10+1 से 10 +2तक प्रवेशः							
छात्र	सं0	1784	828	151	106	245	454
छात्राएं	सं0	1806	800	140	108	315	443
12. जलापूर्ति							
लाभान्वित परिवार	संख्या	5553	5498	—	—	47	8
13. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति कल्याणः							
गृह अनुदान	संख्या	144	34	7	—	49	54

प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे चिन्हित परिवारों की कुल संख्या 282234 (2007–08 सर्वेक्षण) है जिसमें से अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या 27225 है जोकि 9.64 प्रतिशत बनती है।

वर्ष 2006 में नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम पुनर्गठित हुआ जो वर्ष 2007–08 से आरम्भ हुआ और इस कार्यक्रम के तहत सूत्र–10 (सी) अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने से सम्बन्धित है। वर्ष 1997–98 से 2020–21 के दौरान गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने सम्बन्धी प्रयासों का ब्योरा निम्न प्रकार से है:–

वर्षवार लक्ष्य एवं प्राप्तियां :

कार्यक्रम	अवधि	लक्ष्य	प्राप्तियां
सूत्र–11 (ख) अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित :			
	1997–98	4,200	5329
	1998–99	4,250	4815
	1999–2000	4300	7475
	2000–01	4350	6883
	2001–02	4500	8459
	2002–03	4600	4888
	2003–04	4600	4743
	2004–05	4600	8681
	2005–06	4700	6058
	2006–07	6800	11197
सूत्र–10 (सी) (अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित) :			
	2007–08	7000	11808
	2008–09	7000	13610
	2009–10	7000	14255
	2010–11	9297	11554
	2011–12	8660	10079
	2012–13	9547	11062
	2013–14	10592	18498
	2014–15	7392	12940
	2015–16	7432	8692
	2016–17	7616	7939
	2017–18	7575	7466
	2018–19	7095	7322
	2019–20	6739	8669
	2020–21	6829	7509

जनजातीय विकास विभाग द्वारा वर्ष के आरम्भ में ही सम्बधित विभागों से प्राप्त प्रस्तावित लक्ष्यों के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण करके सम्बन्धित विभागों को वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों का आबंटन किया जाता है। सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति की सूचना जनजातीय विकास विभाग, हि0 प्र0 को त्रैमासिक आधार पर प्रेषित की जाती है और जनजातीय विकास विभाग समेकित सूचना राज्य योजना विभाग को भेजता है जिसे योजना विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा जाता है ।

अध्याय–5

जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी एवं नियोजित विकास

हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्णतया ग्रामीण है लेकिन नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत रिकांगपिओ, केलांग, काजा, भरमौर और किलाड़ को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है, जिससे इन्हें शहरी क्षेत्र का दर्जा भी प्राप्त हो गया है और साथ में वे ग्रामीण क्षेत्र भी बने रहेंगे। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत लाया गया है ताकि नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में जनजातीय उप–योजना को अपनाए 44 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तथा कुछेक प्रयुक्त विभागों के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. कृषि :

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 23,655 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से लगभग 39900 हैक्टेयर भूमि विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लाई गई है। औसत जोताकार 1.16 हैक्टेयर है । इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें गेहुं, मक्की, जौ, आलू, गोभी, राजमाह व मटर हैं। जिनमें से आलू, मटर, गोभी, केसर प्रमुख नकदी फसलें हैं। किसानों के आर्थिक विकास तथा प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उन्नत किस्म के बीज व उपकरणों का उपयोग किया गया। उक्त कार्य के लिए वर्ष 2020–21 में जन जातीय उप–योजना के अन्तर्गत मु0 2289.88 लाख रुपये व्यय किए गए।

2. बागवानी :

जनजातीय क्षेत्रों की जलवायु सेब, हॉप्स, केसर, काला जीरा व सूखे फलों के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। इन क्षेत्रों में लगभग 19908 हैक्टेयर भूमि पर विभिन्न फलों की खेती की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान 80931 मी0 टन विभिन्न फलों का उत्पादन हुआ है। फलों से अन्य फसलों की तुलना में किसानों को प्रति हैक्टेयर आय बहुत अधिक है। हॉप्स की खेती के लिए प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र बहुत मशहूर हैं। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित क्षेत्रों के किसानों की आय बढ़ाने व प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए मु0 2868.02 लाख रुपये विभिन्न कार्यों पर व्यय किए गए हैं।

3. पशुपालन :

प्रदेश के किसानों की भान्ति जनजातीय क्षेत्रों में भी कृषि के साथ–साथ पशुपालन किसानों के मुख्य व्यवसायों में से एक है। इन क्षेत्रों में वर्तमान में 51 पशु चिकित्सालय (8 उप–मण्डलीय पशु चिकित्सालय, 42 पशु चिकित्सालय, 1 केन्द्रीय पशु औषधालय) 116 पशु औषधालय, 1 भेड़ प्रजनन केन्द्र, 5 भेड़ व ऊन विस्तार केंद्र, 2 कुक्कट प्रसार केन्द्र, 1 घोड़ा प्रजनन केन्द्र तथा 11 पशु औषधालय मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत स्थापित हैं जिनके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त विभिन्न बीमारियों के टीके लगाए गए तथा नकारा नर पशुओं का वाधियाकरण किया गया ताकि अच्छी नसल की भेड़, गाय व साण्ड उपलब्ध हों। वर्ष 2020–21 में इन कार्यों के लिए मु0 630.14 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

4. वन :

जनजातीय क्षेत्रों का अधिकतर भाग विशेषकर लाहौल–स्पिति, पांगी तथा किन्नौर का कुछ क्षेत्र मौनसून जोन से बाहर रह जाता है तथा इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। 80 प्रतिशत क्षेत्रफल या तो बारानी या पत्थरीली भूमि या फिर बर्फ से ढका रहता है जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र जंगल उगाने के योग्य नहीं है। राज्य सरकार का वन विभाग जनजातीय समुदायों को सरकारी भूमि पर भी जंगल उगाने में प्रोत्साहित करता है तथा उगाये गए पौधों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने में पूरा हक प्रदान करता है ताकि इन क्षेत्रों में भी हरियाली लाई जा सके। स्थानीय समुदायों की ईंधन इत्यादि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वन विभाग का मुख्य कार्यक्रम शीघ्र बढ़ने वाली किस्मों का रोपण, आर्थिक महत्ता की किस्मों का रोपण, चरागाहों का सुधार तथा सामाजिक वानिकी है। वर्ष 2020–21 के दौरान मु0 1299.63 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

5. सहकारिता :

सहकारिता आन्दोलन जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि उपज एवं वानिकी उपज के विपणन तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस आन्दोलन की मुख्य उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार हैः–

1.	कुल सहकारी सभाओं की संख्या	282
2.	इनमें से साख सहकारिताएं	107
3.	अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों का वितरण (राशि लाख रु0)	51.61
4.	उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण (रु0 लाख में)	2429.11

सहकारिता क्षेत्र के कार्यकलापों को अधिक से अधिक मात्रा में पनपने के उद्देश्य से विभाग सभी प्रकार की सहकारी सभाओं को अनुदान, राज्य पूंजी निवेश तथा ऋण के रूप में सहायता राशि देता चला आ रहा है। वर्ष 2020–21 में मु0 72.12 लाख रुपये राज्य योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए हैं।

6. लघु सिंचाई :

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 12834.38 हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अधीन है। वर्ष 2020–21 के दौरान 226.38 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के तहत लाने पर मु0 1785.06 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

7. विद्युत :

जनजातीय क्षेत्रों में सभी गांव विद्युतकृत हैं लेकिन विद्युत संचारण एवं वितरण और वोल्टेज में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत इस कार्य पर व्यय किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जिला किन्नौर के आक्पा नामक स्थान पर 66 के0वी0 सब–स्टेशन की स्थापना की गई है तथा आक्पा से काजा (स्पिति) तक 66 के0वी0 टावर के ऊपर 22 के0वी0 लाईन निर्माणाधीन है। विद्युत क्षेत्र में विभिन्न सुधार कार्यों एवं नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने पर वित्तिय वर्ष 2020–21 के दौरान मु0 6212.50 लाख रुपये व्यय किये गये।

8. ग्राम एवं लघु उद्योग :

समूचा प्रदेश उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। प्रदेश में जन–जातीय क्षेत्रों का दूर–दराज क्षेत्रों में केन्द्रित होना, पर्याप्त एवं सभी मौसमों में यातायात का अभाव तथा इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बिखरापन उद्योग के लिए पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। उक्त परिस्थितियों के बावजूद भी जिला किन्नौर के रिकांगपिओ और जिला लाहौल–स्पिति के केलांग स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। जिला किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति में जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं तथा पांगी, भरमौर क्षेत्र जिला उद्योग केन्द्र चम्बा के अधीन आते हैं। इन क्षेत्रों में 2 औद्योगिक क्षेत्र, 27 उद्योग इकाइयां, 2 औद्योगिक एस्टेट तथा 3 लघु औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विकास हेतु मु0 160.19 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

9. सड़कें एवं पुलः

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सड़कों और पुलों का विशेष महत्व है। जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा वर्ष के दौरान 42.473 कि0 मी0 मोटर योग्य, 5.500 कि0मी0 जीप योग्य, 22.350 कि0 मी0 क्रास नालियां, 26.330 कि0 मी0 मैटलिंग एवं टारिंग और 5 पुलों का निर्माण किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान इन कार्यों पर मु0 18157.19 लाख रुपये खर्च किए गए।

10. खाद्य एवं आपूर्तिः

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग प्रत्येक उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं समय पर उचित मात्रा में तथा उचित दर पर उपलब्ध करवाता है। सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री दर पर विभाग जनजातीय क्षेत्रों में गंदम, चावल, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल अनुदानित दरों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रहा है। विभाग इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने हेतु अग्रिम मांग अनुसार आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण करता है ताकि उपभोक्ताओं को सर्दियों में आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े। आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी विभाग द्वारा मास अक्तूबर/नवम्बर में उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से बर्फ पड़ने से पहले–पहले कर दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत 17 थोक बिक्री केन्द्रों, 199 उचित मूल्य की दुकानें, 9 गैस एजेन्सियों व 5 पैट्रोल पम्पों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वस्तु का नाम	इकाई	कुल	किन्नौर	लाहौल	स्पिति	पांगी	भरमौर
गन्दम/गन्दम आटा	क्विन्टल	96502	41579	11615	7583	17346	18379
चावल	क्विन्टल	70151	33547	7147	5668	8882	14907
लेवी चीनी	क्विन्टल	9615	4211	1162	821	901	2520
दालें	क्विन्टल	11546	5161	1467	1262	918	2738
नमक	क्विन्टल	4028	1673	456	317	723	859
खाद्य तेल	लीटर	903239	396107	96446	67190	128472	215024
रसोई गैस सिलेन्डर	संख्या	244402	144971	31848	21472	21074	25037
मिट्टी का तेल	किलो लीटर	827	306	129	168	127	97

11. स्वास्थ्य विभाग :

जनजातीय क्षेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्धि में सुखद स्थिति में है। इन क्षेत्रों में 2 क्षेत्रीय अस्पताल, 5 नागरिक अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 105 उप–स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। चिकित्सा संस्थानों में 495 बिस्तरे उपलब्ध हैं। मनुष्यों के उपचार सम्बन्धी चिकित्सा संस्थान प्रति लाख जनसंख्या के पीछे जनजातीय क्षेत्रों में 92 हैं जबकि राज्य में औसतन 39 हैं। वर्ष 2020–21 में स्वास्थ्य सम्बन्धि गतिविधियों पर मु0 8892.12 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

12. आयुर्वेद विभाग :

इन क्षेत्रों में 3 आयुर्वेदिक अस्पताल तथा 73 औषधालय कार्यरत हैं। इन अस्पतालों में लगभग 74 बिस्तरे उपलब्ध हैं। वर्ष 2020–21 में आयुर्वेद से सम्बन्धित गतिविधियों पर मु0 683.48 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

13. शिक्षा विभागः

जनजातीय क्षेत्रों में 557 प्राथमिक पाठशाला, 96 माध्यमिक पाठशाला, 47 उच्च पाठशाला, 82 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, 4 एक्लव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 2 नवोदय विद्यालय, 2 केंद्रीय विद्यालय तथा 4 राजकीय महाविद्यालय हैं। शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों पर वर्ष 2020–21 के दौरान जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत मु0 8808.34 लाख रुपये व्यय किए गये ।

14. तकनीकी शिक्षाः

तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत इकाइयां जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं:–

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिकांगपिओ
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भरमौर
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पांगी स्थित किलाड़
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (लाहौल)
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोंगटोंग(काजा)
6. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिकांगपिओ

जनजातीय क्षेत्रों के छात्र प्रदेश के दूसरे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश हेतु प्रदेश भर में 792 सीटें (स्थान) आरक्षित थीं व तकनीकी शिक्षा पर मु0 1164.43 लाख रुपये व्यय किये गये ।

15. पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम :

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। वर्ष 2020–21 में इस कार्य के लिए मु0 2794.82 लाख रु0 व्यय किए गए हैं। स्पष्ट है कि जनजातीय क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है और जनजातीय क्षेत्रों और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बीच विकासात्मक खाई दिन–प्रतिदिन कम हो रही है।

अध्याय–6

कानून एवं व्यवस्था स्थिति

अनुसूचित क्षेत्र शोर–शराबे से दूर बीहड़ पहाड़ों के पीछे स्थित है। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही धर्मपरायण, शान्तिप्रिय और सहिष्णु हैं जोकि उनके शान्त वातावरण के अनुरूप है। किन्नौर और लाहौल–स्पिति जिला की सीमा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत से लगती है और इन क्षेत्रों में विदेशियों के आने–जाने पर प्रतिबन्ध है। देशी पर्यटक इन क्षेत्रों में कम ही आते हैं क्योंकि आवागमन कठिन और दुविधाजनक है। अतः बाहरी प्रभाव नगण्य है।

फिर भी, अनुसूचित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी हेतु 11 पुलिस स्टेशन, 13 पुलिस चौकियां तथा 12 निरीक्षण चौकियां स्थापित की गई हैं। ऐसे प्रबन्ध से लोगों के जान–माल की रक्षा भी बखूबी हो रही है।

अपराध स्थिति 2020–21

मद्द	अनुसूचित क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश
1. राज्य के प्रति एवं लोक शान्ति के प्रति अपराधः		
(क) सूचित	22	484
(ख) सिद्धदोषी	–	03
2. कत्लः		
(क) सूचित	05	92
(ख) सिद्धदोषी	02	12
3. अन्य घोर अपराधः		
(क) सूचित	63	3028
(ख) सिद्धदोषी	–	75
4. डाकाः		
(क) सूचित	–	02
(ख) सिद्धदोषी	–	–
5. पशु चोरीः		
(क) सूचित	–	12
(ख) सिद्धदोषी	–	–
6. जायदाद चोरीः		
(क) सूचित	14	769
(ख) सिद्धदोषी	–	31
7. सामान्य चोरीः		
(क) सूचित	01	328
(ख) सिद्धदोषी	–	18
8. मकान घुसपैठः		
(क) सूचित	12	429
(ख) सिद्धदोषी	–	13

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार निवारण :

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दिनांक 30 जनवरी, 1990 से लागू है तथा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदेश में 8 जिला तथा सैशन अदालतें विशेष अदालतें घोषित की गई हैं तथा इन अदालतों से सम्बद्ध पब्लिक प्रोसिक्यूटर्ज को धारा 15 के अधीन विशेष प्रोसिक्यूटरर्ज घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र शिमला, मण्डी तथा चम्बा की अदालतों के साथ संलगित किया गया है।

इस अधिनियम के अधीन राज्य स्तर पर तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर निरीक्षण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

अध्याय–7

विश्वविद्यालयों एवं अन्य उपक्रमों के कार्यकलाप

(क) चौ० सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयः

सरकार की नीति के अनुरूप जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से धनराशि आरक्षित की जा रही है ताकि क्षेत्रीय और अन्तर–क्षेत्रीय असंतुलन कम किया जाए और इन पिछड़े क्षेत्रों की अंतःशक्ति का दोहन किया जा सके। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भी इन क्षेत्रों की जलवायु के अनुरूप अलग प्रावधान कर रही है ताकि इन क्षेत्र वासियों को लाभान्वित किया जा सके। जनजातीय क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पांच अनुसंधान केन्द्र / कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैंः–

1. उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार केन्द्र, कुकुमसेरी (लाहौल घाटी)
2. पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार केन्द्र, सांगला किन्नौर
3. उप–अनुसंधान केन्द्र लियो (किन्नौर)
4. उच्च पर्वतीय कृषि उप–अनुसंधान केन्द्र लरी (स्पिति घाटी)
5. पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार केन्द्र सलूणी चम्बा (भरमौर क्षेत्र के लिए)

इन केन्द्रों पर किए जा रहे अनुसंधान के मुख्य पहलु इस प्रकार हैंः–

1. उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार केन्द्र, कुकुमसेरी (लाहौल घाटी) :

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कुकुमसेरी (लाहौल) जनजातीय उच्च पहाड़ी शुष्क समशीतोषण क्षेत्र में स्थित है। यह केन्द्र लाहौल व पांगी क्षेत्र की कृषि समस्याओं के समाधान के लिए अनुसन्धान व केन्द्र पर विकसित कृषि उन्नत तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस केन्द्र पर मुख्यतः समशीतोषण सब्जियों, मटर, आलू, राजमाश, गेहूं, काठु तथा चारे वाली फसलों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुसन्धान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अनुसंधान केन्द्र में फसलों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी तैयार किये जाते हैं। यह केन्द्र तिलहन, दलहन तथा बेमौसमी सब्जी उत्पादन व उच्च तकनीक से खेती के नए विकल्प घाटी के किसानों को उपलब्ध करवा रहा है।

2. पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केन्द्र सांगला (किन्नौर) :

इस केन्द्र के अधीन 2.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल है तथा पूर्ण क्षेत्र सिंचाई के अधीन है। इस केन्द्र में मुख्यतः काला जीरा, केसर, राजमाश, ओगला, फाफरा व चौलाई पर अनुसंधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि के बदलते परिवेश व जलवायु परिवर्तन के साथ अब यहां पर सेब व सब्जियों पर अनुसंधान किया जा रहा है। इस केन्द्र की मुख्य गतिविधियों के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन, नवीन उन्नत किस्मों के प्रदर्शनी प्लाट, किसान परामर्श एवं किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। किन्नौर जिला में केसर व काला जीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कन्द उपलब्ध करवाये गये। किसान मेले का आयोजन करके किसानों को वैज्ञानिक खेती व जैविक खेती के विषय में नवीनतम जानकारी दी गई।

3. उप–अनुसंधान केन्द्र लियो (किन्नौर) :

उप केन्द्राधीन 7.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल है जिसमें से 2.5 हैक्टेयर क्षेत्र पर सप्रिंकलिंग सिंचाई उपलब्ध है। इस केन्द्र में अनुसंधान उपरान्त पाया गया कि यह क्षेत्र सेब, आलू, बादाम, खुमानी, पिस्ते व दलहनों (राजमाह एवं मटर) की पैदावार के लिए उपयुक्त है। किसानों को वैज्ञानिक खेती की तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण शिविर, भ्रमण एवं किसान परामर्श के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई।

4. उच्च पर्वतीय कृषि उप–अनुसंधान केन्द्र लरी (स्पिति घाटी) :

इस केन्द्र के अधीन 18.7 हैक्टेयर क्षेत्र में से अनुसंधानार्थ 9.5 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा युक्त है। इस अनुसंधान उप–केन्द्र में स्पिति घाटी के किसानों की सुविधा हेतु विभिन्न अनुसंधान गतिविधियां चलाई जा रही हैं जिसके अन्तर्गत राजमाश, गेहुं , मटर उत्पादन सम्बन्धी जानकारी, बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाऊस व खेतों में खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त ड्रिप(टपक) सिंचाई योजनाओं की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई गई।

(ख) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन :

इस विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधानात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियां क्षेत्रीय बागवानी अनुसन्धान, प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि विज्ञान केन्द्र शारबो (किन्नौर) क्षेत्रीय बागवानी अनुसन्धान उप–केन्द्र ताबो (लाहौल–स्पिति) तथा कृषि विज्ञान केन्द्र सरू (चम्बा) के माध्यम से चलाई जा रही है।

इन अनुसंधान केन्द्रों में बागवानों तथा सब्जी उत्पादकों के लिए बागवानी तथा सब्जी उत्पादन, संरक्षण तथा फसल कटाई उपरान्त तकनीकी के बारे आवश्यक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके नवीनतम तकनीकी का ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण शिवरों में नुमाईश, उद्यान दिवस तथा अन्य व्यवहारिक प्रदर्शन किए जाते हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम :

हिमाचल प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र अपनी कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें से कुछ एक का लुप्त होने का अन्देशा है। इनमें जान फुंकने, इनको बढ़ावा देने और इनके विकास के लिए निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका ब्योरा निम्न प्रकार से हैः–

1. प्रशिक्षकता योजनाएंः

इस योजना के अन्तर्गत निगम मनाली और ताबो में थांका पेंटिंग का प्रशिक्षण दे रहा है जिसकी अवधि 6 वर्ष है। यह कला प्रायः लुप्त होती जा रही है। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त लड़के एवं लड़कियां इस व्यवसाय में भली भान्ति रोजी कमा रहे हैं।

2. प्रशिक्षण केन्द्र :

लोगों में दक्षता बढ़ाने के लिए निगम कई शिल्पों में प्रशिक्षण दे रहा है। इनमें मुख्य रूप से वुड कारविंग, वुड टरनिंग, गलीचा बुनाई, धातु शिल्प, बढ़ई, शाल बुनाई, चम्बा रूमाल इत्यादि शामिल हैं। शिल्प प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से 6 वर्ष की है ताकि प्रशिक्षणार्थी सिद्धहस्त हो सकें। प्रशिक्षण अवधी के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 950 रुपये प्रतिमाह वज़ीफ़ा भी प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षण उपरान्त अपना काम चालू करने के लिए सहायता भी दी जाती है।

3. उत्पाद इकाइयां :

निगम अपने उत्पादन केन्द्र लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चला रहा है जिसमें हथकरघा वस्तुएं, ऊनी कालीन, लकड़ी के बर्तन आदि तैयार किए जा रहे हैं।

4. प्रापन एवं उप–प्रापन योजनाएं :

इस स्कीम के अधीन बुनकरों/कारीगरों को उत्तम औजार, उपकरण, कच्चा सामान, रूपांकन आदि उनके अपने घरों में नकद या किश्तों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं और जो सामान वे तैयार करते हैं उसे निगम क्रय करता है। इससे ये कारीगर अपनी आजीविका कमाने में सक्ष्म हो रहे हैं।

5. विपणन :

कारीगरों/बुनकरों को विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निगम उन द्वारा तैयार किया गया माल कन्साईनमैंट आधार पर क्रय करता है जिस के लिए निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में ईम्पोरियम तथा विक्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

6. संगठनात्मक ढांचा :

जिला किन्नौर और स्पिति मण्डल में निगम की गतिविधियां किन्नौर में रिकांगपिओ के स्थान पर स्थित हस्तशिल्प अधिकारी द्वारा संचालित की जाती है। लाहौल मण्डल में ऐसा करने के लिए एक प्रबन्धक नियुक्त है। चम्बा जिला में भी एक हस्तशिल्प अधिकारी विद्यमान है। निगम की विभिन्न इकाइयों को सुचारू रूप में चलाने के लिए अपेक्षित तकनीकी, पर्यवेक्षी एवं सहायक कर्मचारी नियुक्त हैं।

निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न इकाइयों का ब्योरा इस प्रकार हैः—

1. हिमाचल इम्पोरियम— रिकांगपिओ (जिला किन्नौर)
2. एप्रेन्टिशिप स्कीम थांका पेंटिग—डंखर/ताबो/की मोनस्ट्री
3. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र—किबर खास/कल्पा/सापनी/पांगी/कोठी/सुधारंग/सांगला/हांगो/चारंग/लिओ/सपीलो/रुसकुलंग/कुठेड/वडाग्राम/किसोरी/त्रिलोकीनाथ/नाथपा/यंग पा—1/पुजे/अर्नी/युला/छोटा कामवा/पौंडा ।
4. हस्त बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र—सापनी/मूरंग/केलांग/तिंदी/त्रिलोकीनाथ
5. गलिचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र—गुई/गुलिंग/हिकिम/की/लालुंग खास/डंखर/सुसना/सिचलिंग/लोसर/काजा/चालिंग ।
6. काष्ठ नक्काशी प्रशिक्षण केन्द्र—थेमगरंग/रिवा

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 311 बुनकरों/दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(घ) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड :

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के उत्थान हेतु व उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की सहायता के अन्तर्गत चलाई जा रही हैंः—

1. ऊन पिंजाई, तेल पिड़ाई व ऊनी वस्त्र फिनिशिंग
2. बिक्री केन्द्र
3. प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

1. ऊन पिंजाई :

बोर्ड द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में 13 ऊन पिंजाई केन्द्र स्थापित किए गए हैं जोकि रिकांगपिओ, पूह, भावानगर, कटगांव, सांगला, स्कीबा, चोलिंग, केलांग, उदयपुर, काजा, किलाड़, होली, लाहल में स्थापित हैं। उक्त ऊन पिंजाई केन्द्रों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों की ऊन पिंजाई न्यूनतम मूल्य पर की जाती है।

2. बिक्री केन्द्र :

बोर्ड द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में 2 बिक्री केन्द्र रिकांगपिओ, रंगरीक/काजा के माध्यम से बोर्ड द्वारा खादी व ग्रामोद्योग उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। बोर्ड द्वारा वर्ष 2020—21 में जनजातीय योजना के अन्तर्गत उपरोक्त केन्द्रों में की गई उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

केन्द्र का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	ऊन पिंजाई की गई	पिंजाई चार्जिज
1. ऊन पिंजाई केन्द्र / कम्पोजिट यूनिट।	लाभार्थी	4850	4041	33198.50 कि0 ग्रा0	8.38 (लाख रु0)
2. बिक्री केन्द्र	लाख रु0	55.00	21.05	–	–

3. प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इस योजना का आरम्भ किया गया। हिमाचल प्रदेश में इस योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत (क) विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए केवल 25 लाख रुपये तक तथा (ख) सेवा इकाई स्थापित करने के लिए केवल 10 लाख रुपये तक की स्कीमों को स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों / पारम्परिक कारीगरों / कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति एवं जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिलाओं / शारीरिक रूप से विकलांग / भूतपूर्वक सैनिक / अल्पसंख्यक समुदाय को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु मार्जिन मनी उपलब्ध करवायी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति के ऊपर वर्णित लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने हेतु कुल परियोजना लागत का 95 प्रतिशत हिस्सा बतौर ऋण स्वीकृत किया जाता है शेष राशि (मार्जिन मनी) लाभार्थी को स्वयं खर्च करनी होती है जिसका 35 प्रतिशत भाग अनुदान के तौर पर बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड द्वारा 91 प्रकरण विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किए गए जिसमें से बैंकों द्वारा 42 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया और इन प्रकरणों में मु0 103.53 लाख रुपये मार्जिन मनी (अनुदान) राशि वितरित की गई।

(ङ) हिमाचल पथ परिवहन निगम :

हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा किन्नौर और स्पिति क्षेत्र को बस सेवा के प्रचालन हेतु रिकांगपिओ में तथा लाहौल और पांगी क्षेत्र के लिए केलांग में डिपो स्थापित किये गये हैं। भरमौर क्षेत्र को बस सेवा का प्रचालन चम्बा डिपो से किया जा रहा है। तीनों डिपो के पास इस समय जनजातीय क्षेत्रों के लिए कुल 169 यात्री वाहन हैं जिसमें से रिकांगपिओं डिपो में 77 बसें किन्नौर क्षेत्र के लिए तथा 7 बसें काजा क्षेत्र के लिए, केलांग डिपो में 53 बसें केलांग क्षेत्र के लिए तथा 17 बसें व 1 जीप पांगी क्षेत्र के लिए और चम्बा डिपो में 14 बसें भरमौर क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। इस समय जनजातीय क्षेत्र में जन सुविधा के लिए परिवहन निगम द्वारा 8221 किलोमीटर प्रतिदिन का परिचालन हो रहा है। निगम द्वारा लाहौल क्षेत्र में बर्फ पड़ने से पूर्व अन्तिम क्षणों तक बस सेवा उपलब्ध करवाई जाती है तथा घाटी में भी पर्याप्त संख्या में यात्री वाहन उपलब्ध हैं ताकि मौसम खुलते ही घाटी के भीतर परिवहन सेवा चालू हो सके। वर्ष 2020–21 में निगम को जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत 959.41 लाख रुपये का अंशदान दिया गया।

(च) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति विकास निगम :

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम प्रदेश में 17 मई, 1984 से कार्य कर रहा है। वर्ष 1984–85 में निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 2 जिला कार्यालय किन्नौर और लाहौल–स्पिति के लिए स्थापित किए गए। स्पिति, पांगी तथा भरमौर उप–मण्डल अपने–अपने जिला मुख्यालय से दूर स्थित होने के कारण इन उप–मण्डलों के लिए अलग से उप–कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के निर्धन वर्गीय व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

उद्देश्य :

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का उद्देश्य प्रदेश के निर्धन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण, पूंजी अनुदान, सीमांत धन ऋण/सावधि जमा देकर बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा देकर स्वरोजगार स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त ब्याज रहित अध्ययन ऋण तथा ब्याज अनुदान जैसे सहायता कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सुविधा से लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है।

निगम के कार्यकलाप :

निगम का प्रारम्भ से ही मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों का आर्थिक विकास रहा है जिसके लिए निगम इन परिवारों को अपने नए कारोबार चलाने अथवा पुराने कारोबारों को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों और सरकार के विकास विभागों के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाता है। जिसके लिए निगम ने इन विभागों से तालमेल स्थापित किया है। निगम द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(1) स्वरोजगार कार्यक्रम :

निगम गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जनजाति परिवारों को अपना कारोबार चलाने/सुदृढ़ करने के लिए मु0 50,000/– रु0 तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर यानि 4 प्रतिशत वार्षिक पर ऋण उपलब्ध करवाता है। निगम कुल परियोजना का 25 प्रतिशत भाग सीमांत धन ऋण/डिपॉजिट के रूप में बैंकों को देता है। इसके अतिरिक्त कुल लागत का 50 प्रतिशत मु0 10,000/– रु0 तक की राशि निगम द्वारा पूंजी अनुदान के रूप में भी दी जाती है तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दिलवाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 52 अनुसूचित जनजाति परिवारों को कुल 21.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। इस राशि में से निगम द्वारा 6.48 लाख रुपये की राशि मार्जिन मनी डिपॉजिट/सीमांत धन ऋण व 4.60 लाख रुपये की राशि पूंजी अनुदान के रूप में लगाई गई तथा शेष राशि बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई।

(2) हिमस्वाबलम्बन योजना (एन0एस0टी0एफ0डी0सी0 स्कीम) :

वर्ष 1992–93 से निगम बड़ी तथा मंझोली परियोजनाओं के लिए मात्र 6 प्रतिशत या 8 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को राष्ट्रीय निगम के सहयोग से ऋण उपलब्ध करवाता रहा है। इस योजना में छोटी गाड़ियां, टैक्सी, ट्रक, जीप, डेयरी फार्मिंग व होटल/ढाबा आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के तहत केवल उन्हीं परिवारों को सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कुल 300,000/– रुपये तक हो।

(3) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना :

निगम गरीबी रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 50,000/–रुपये तक की ऋण राशि 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाता है जिसमें निगम 4000/–रुपये तक की राशि सीमांत धन ऋण व अधिकतम 10,000/–रुपये की राशि पूंजी अनुदान के रूप में तथा शेष राशि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत 33 अनुसूचित जनजाति महिलाओं को मु0 13.50 लाख रुपये की राशि जिसमें निगम द्वारा मु0 2.46 लाख रुपये की राशि पूंजी अनुदान के रूप में स्वयं लगाई गई।

(4) हस्तशिल्प विकास योजना :

इस परियोजना के अधीन पारम्परिक व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण देने की सुविधा उपलब्ध है। इस ऋण सुविधा को परम्परागत व्यवसायों में लगे कारीगर अपनी एक संस्था बनाकर उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। निगम हस्तशिल्प में लगे कारीगरों को मु0 15,000/– रुपये प्रति कारीगर की दर से बिना ब्याज की दर से संस्था के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है। संस्था अपने

कारीगर सदस्यों से अधिकतम 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिये गये ऋण पर ब्याज ले सकती है जो संस्था के प्रशासनिक भार को पूरा करने के लिए रखा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में 02 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 0.30 लाख रुपये की ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई।

(5) उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त अध्ययन ऋण :

निगम ने यह स्कीम वर्ष 1991–92 से प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में मु0 1.00 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को जो उच्च तकनीकी कोर्सों में अध्ययनरत हैं, के लिए निगम द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा मु0 1,50,000/–रुपये है। यह सुविधा एम0बी0बी0एस0, इंजीनियरिंग, बैटनरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नर्सिंग तथा जे0बी0टी0 आदि कोर्सों के लिए प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 01 अनुसूचित जनजाति के छात्र को 0.75 लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुसूचित जनजाति के युवाओं/युवतियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय सीमा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 3.00 लाख रुपये से कम हो शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।

(6) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

निगम ने अनुसूचित जनजाति के बेरोज़गार युवा/युवतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ आधुनिक व्यवसायों जैसे कम्प्यूटर, ड्राईविंग, इलैक्ट्रोनिक्स, सिलाई–कटाई, पलम्बर आदि में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। प्रशिक्षण लेने वाले को प्रशिक्षण के दौरान 500/– रुपये से 750/– रुपये प्रति माह बज़ीफा व प्रशिक्षकों को मानदेय दिया जाता है।

अनुलग्नक—क

विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मन्त्रालय से प्राप्त राशि तथा व्यय का ब्योरा

वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता (राशि लाख रुपये में)	
	प्राप्त राशि	विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीमों पर व्यय
2018—19	3628.00	3583.00
2019—20	2394.18	2001.50
2020—21	1367.00	1534.21

विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त राशि की वर्षवार/विभागवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां:—

विभाग	वर्ष 2018—19		वर्ष 2019—20		वर्ष 2020—21	
	वित्तीय व्यय (लाख रु0)	भौतिक उपलब्धियां (संख्या)	वित्तीय व्यय (लाख रु0)	भौतिक उपलब्धियां (संख्या)	वित्तीय व्यय (लाख रु0)	भौतिक उपलब्धियां (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
कृषि व भू संरक्षण।	441.35	6281	359.19	7551	327.33	—
उद्यान	74.55	9185	101.19	9160	134.72	8564
पशु पालन व दुग्ध विकास।	195.88	82541 पशु उपचारित	148.17	253728 पशु उपचारित	300.39	—
मत्स्य	11.42	16 लाभार्थी	7.70	11 लाभार्थी	13.07	27 लाभार्थी
शिक्षा	1110.00	1 विद्यालय निर्मित 22 विद्यालय निर्माणाधीन	667.57	3 विद्यालय भवन निर्मित व 14 विद्यालय निर्माणाधीन	275.00	10 विद्यालय भवन निर्माणाधीन
उद्योग/ तकनीकी शिक्षा।	204.80	604 प्रशिक्षु	133.68	522 प्रशिक्षु	139.70	376 प्रशिक्षु
युवा सेवायें एवं खेल।	60.00	2 कार्य निर्माणाधीन	10.00	3 कार्य निर्माणाधीन	54.00	1 कार्य निर्माणाधीन
स्वास्थ्य (एलोपैथी)	495.00	2 स्वास्थ्य संस्थान निर्माणाधीन	484.00	4 कार्य निर्मित व 6 स्वास्थ्य संस्थान निर्माणाधीन	250.00	1 स्वास्थ्य संस्थान निर्माणाधीन
लोक निर्माण (गैर अवासीय भवन)।	80.00	1 भवन निर्माणाधीन	40.00	—	40.00	1 भवन निर्माणाधीन (ITI)